विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैं:

अध्याय-1: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के क्रियाकलाप पर सामान्य जानकारियाँ,

अध्याय-2: झारक्राफ्ट द्वारा उनी कंबल के उत्पादन और परिवहन की लेखापरीक्षा - ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान, और झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षा,

अध्याय-3: सा.क्षे.उ. पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 46.23 करोड़ है।

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

झारखण्ड में 24 सा.क्षे.उ. हैं। 31 मार्च 2017 को, इन सा.क्षे.उ. में ₹ 10,753.32 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। राज्य सरकार के निवेश का झुकाव विगत पाँच वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में था (₹ 9,425.67 करोड़)।

सभी 24 सा.क्षे.उ. राज्य सरकार की कंपनियां हैं, जिनमें तीन अकार्यशील कंपनियां शामिल हैं।

24 सा.क्षे.उ. में से 22 सा.क्षे.उ. के पास 2009-10 की अवधि तक से लेखें बकाया थे। लेखों को बनाने में देरी/लेखों को न बनाना तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण, कपटपूर्ण और दुरूपयोग की जोखिम से भरा हुआ है।

इन 10 सा.क्षे.उ. के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 22.98 करोड़ का लाभ कमाया तथा पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,700.73 करोड़ की हानि उठाई। इन 10 सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,052.92 करोड़ का आवर्त दर्ज किया।

इन 10 सा.क्षे.उ. ने, जिन्होंने विगत तीन वर्षों में अपने लेखों को पूर्ण किया, राज्य सरकार के विनियोग (अंश एवं दीर्घावधि ऋण) पर औसत 18.34 प्रतिशत नकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया। इसके मुकाबले, वर्ष 2014-15 से 2016-17 के अवधि में ली गई राज्य सरकार के ऋण का औसत लागत दर 6.87 प्रतिशत थी। इस प्रकार, विगत तीन वर्षों में 10

सा.क्षे.उ. में निवेश के परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 2,092.21 करोड़ की हानि हुई। शेष 14 सा.क्षे.उ., जिन्होंने अपने लेखाओं का अंतिमीकरण नहीं किया, की हानि, यदि हो, तो उसका आकलन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 1.1, 1.5, 1.6, 1.9 एवं 1.10)

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियों के प्रत्येक वार्षिक वित्तीय विवरणी का अन्तिमीकरण संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अन्दर अर्थात सितम्बर के अन्त तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम में दण्ड का प्रावधान है, जिसमें संबंधित कंपनी का प्रत्येक अधिकारी को, जो ऐसा चूक करता है, एक साल तक के कारावास की सजा या न्यूनतम पचास हजार का जुर्माना जो बढ़ाकर ₹ पाँच लाख तक किया जा सकता है, या दोनों हो सकती है।

21 कार्यशील सा.क्षे.उ. में से केवल 2 सा.क्षे.उ. ने 2016-17 के लेखें का अन्तिमीकरण किया, जबकि 31 दिसम्बर 2017 तक बाकी 19 सा.क्षे.उ. के 54 लेखें एक से लेकर आठ साल तक के लिए बकाया थे। तीन अकार्यशील सा.क्षे.उ. के पास 15 लेखें एक से आठ साल तक के लिए बकाये थे। राज्य सरकार ने 12 कार्यशील सा.क्षे.उ. में ₹ 2,659.56 करोड़ (अंश, ऋण, अनुदान, सहाय्य, आदि) का बजटीय सहायता उन वर्षों में प्रदान किया, जिन वर्षों के लिए उनके लेखों का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था, इसमें से ₹ 208.22 करोड़ की बजटीय सहायता उन छः कार्यशील सा.क्षे.उ. को दिया गया था जिनके लेखे तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बकाये थे।

राज्य सरकार ने सा.क्षे.उ. के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है। फलस्वरूप, यद्यपि अन्तिमीकृत लेखों के आधार पर पाँच सा.क्षे.उ. जिनमें सरकारी अंश ₹ 128.11 करोड़ था, कुल ₹ 22.98 करोड़ का लाभ अर्जित किया, इनमें से किसी ने लाभांश घोषित नहीं किया।

(कंडिका 1.9, 1.10, 1.11 एवं 1.14)

अनुशंसाएँ

- **वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सा.क्षे.उ. अपने लेखों को अद्यतन करने हेतु शीघ्र कदम उठाये ताकि इन सा.क्षे.उ. के निदेशकों द्वारा कंपनी अधिनियम का निरन्तर उल्लंघन न हो।**
- **वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय सहायता का विस्तार उन सा.क्षे.उ. को नहीं किया जाय जिनके लेखें अद्यतन नहीं हैं।**

लेखा टिप्पणियां

वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 12 कार्यशील कंपनियाँ द्वारा अन्तिमीकृत 21 लेखाओं पर दोषयुक्त प्रमाण-पत्र दिये। कंपनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक रहा क्योंकि सात कंपनियों के 11 लेखाओं पर 36 मामलों में लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था।

(कंडिका 1.16)

अनुशंसा

- **वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को तुरन्त उन 12 कंपनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दोषयुक्त टिप्पणियां की थी।**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया

मौजूदा निर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुति के तीन महीने के अंदर इसमें शामिल कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा पर उत्तर/ व्याख्यात्मक टिप्पणियां देने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2005-06 से 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिनको राज्य विधानसभा में अप्रैल 2007 से अगस्त 2017 के दौरान रखा गया था, में शामिल 70 लेखापरीक्षा कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा में से आठ[1] विभागों से संबंधित 33 निष्पादन

[1] (1) ऊर्जा विभाग; (2) उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग; (3) पर्यटन, कला,संस्कृति, खेल और युवा मामले की विभाग; (4) वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग; (5) जल संसाधन विभाग; (6) गृह, जेल और आपदा प्रबधंन विभाग; (7) शहरी विकास और आवास विभाग; और (8) उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग।

लेखापरीक्षा/लेखापरीक्षा कंडिकाओं के स्पष्टीकरण टिप्पणियां अभी भी अप्राप्त थे (जून 2018)।

(कंडिका 1.18)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पुन: संरचना

15 नवम्बर 2000 से, पूर्ववर्ती बिहार राज्य के बिहार और झारखण्ड राज्यों में पुनर्गठन के फलस्वरूप 12 सा.क्षे.उ. की संपतियों एवं दायित्वों के बँटवारे का निर्णय (सितम्बर 2005) लिया गया था। तथापि, दिसम्बर 2017 तक इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा.क्षे.उ. के संबंध में ही पूरा किया गया है।

(कंडिका 1.21)

अनुशंसा

- **चूँकि राज्य के पुनर्गठन को लगभग दो दशक बीत चूके हैं, राज्य सरकार को बिहार सरकार के साथ मिलकर उन सात सा.क्षे.उ. के संपतियों एवं दायित्वों के त्वरित बँटवारे हेतू आवश्यक कार्रवाइ करनी चाहिए जिसमें 15 नवम्बर 2000 तक ₹ 132.36 करोड़ का सरकारी निवेश था।**

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

योजना के क्रियान्यवयन हेतु उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के बीच विनिर्दिष्ट वित्तीय और परिचालन लक्ष्य के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित (जनवरी 2016) किया गया।

एमओयू के अनुसार झारखण्ड सरकार द्वारा जेबीभीएनएल का बकाया ऋण ₹ 6,136.37 करोड़ को 2015-16 के दौरान अनुदान देकर ले लेना था। लेकिन झारखण्ड सरकार ने इस राशि को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जिसके फलस्वरूप कंपनी को प्रतिवर्ष ₹ 797.73 करोड़[2] का वार्षिक ब्याज-दायित्व का निर्माण हुआ जो कि एमओयू का उल्लघंन था। इसके अलावा, झारखण्ड सरकार द्वारा कंपनी को 2016-17 के लिए ₹ 292 करोड़ का अनुदान देय था जो अभी तक (जून 2018) नहीं दिया गया है।

[2] 13 प्रतिशत वार्षिक की दर पर

जेबीभीएनएल वित्तीय लक्ष्यों जैसे तकनीकि एवं व्यावसायिक (एटी एंड सी) हानि, विपत्रीकरण कुशलता और संग्रहण कुशलता को प्राप्त करने में विफल रही। परिचालन लक्ष्य की प्राप्ति के मामलें में भी जेबीवीएनएल की स्थिति संतोषजनक नहीं था। यह वितरण ट्रांसफार्मर मिटरिंग (ग्रामीण), ग्रामीण फिडरों का अंकेक्षण, स्मार्ट मिटरिंग और वैसे घरों में जहां विद्युत संबंध नहीं था, विद्युत पहुँचाने में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सका।

(कंडिका 1.22)

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित लेखापरीक्षा

2.1 झारक्राफ्ट द्वारा ऊनी कंबल के उत्पादन और परिवहन की लेखापरीक्षा - ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान

झारक्राफ्ट के अधिकारियों ने 8.89 लाख कंबल के लिये ऊनी धागे, मजदूरी, परिष्करण और परिवहन से संबंधित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान किया।

श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण विभाग (श्रम विभाग), झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड रेशम, वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट) को, जो कि एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ₹ 29.48 करोड़ मूल्य के 9,82,717 ऊनी कंबल की आपूर्ति का आदेश दिया (नवंबर 2016 और मई 2017)। झारक्राफ्ट ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) को कम्बल बुनाई के लिए धागा और हथकरघा देने की योजना बनाई जिससे बुनकरों को रोजगार मिल सके। इसके बाद अर्ध-परिष्कृत कंबल नूतन इंडस्ट्रीज, पानीपत द्वारा धोए एवं परिष्कृत किये जाने थे और तैयार कंबलों को झारखण्ड के विभिन्न जिलों में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले लोगों में वितरण के लिए सुपर हरियाणा रोड लाइन्स, पानीपत और स्पीड फास्ट कूरियर और कार्गो सर्विसेज, रांची द्वारा परिवहन किया जाना था। झारक्राफ्ट ने जनवरी 2018[3] तक ₹ 19.39 करोड़[4] का व्यय किया।

---

[3] यार्न के लिए ₹ 14.53 करोड़, पर्यवेक्षण शुल्क सहित बुनकरों के मजदूरी के लिए ₹ 2.39 करोड़, कम्बल के परिष्करण के लिए ₹ 1.36 करोड़ और परिवहन के लिए ₹ 1.10 करोड़।

[4] विभाग द्वारा ₹ 6.85 करोड़ प्रदान किए गए (जुलाई 2017), प्रबंध निदेशक के आदेशों के तहत ₹ 4.54 करोड़ स्वयं के स्रोत से तथा ₹ 8.00 करोड़ सेरीकल्चर योजना के तहत उपलब्ध धनराशि से विचलन (जुलाई 2017 और नवंबर 2017) कर किया गया, जिसे अभी तक प्रतिपूर्ति किया जाना बाकी है।

लेखापरीक्षा से ज्ञात होता है कि अधिकृत लेन-देन एक कपोल कल्पित कहानी थी और झारक्राफ्ट के अधिकारियों द्वारा कहीं और से निम्नकोटि के कंबल खरीद कर उपायुक्तों के माध्यम से 24 जिलों में बीपीएल श्रेणी के लाभुकों में वितरित किया गया था। इस निष्कर्ष का समर्थन करने वाले लेखापरीक्षा साक्ष्य नीचे वर्णित हैं :

धागों की खरीद में गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने में विफलता

झारक्राफ्ट ने कुल ₹ 15.54 करोड़ मूल्य के धागे की आपूर्ति के लिए एनएएन वूलन मिल्स, पानीपत (18.64 लाख किलोग्राम) और उन्नति इंटरनेशनल, पानीपत (2.94 लाख किग्रा) को आदेश (मई 2016 से सितंबर 2017) दिया। आपूर्ति आदेश में कि 15.24 लाख कि.ग्रा. धागा की आपूर्ति केंद्रीय भंडार इरबा, राँची में किया जाना निर्धारित था। आगे, प्रबंधक निदेशक झारक्राफ्ट ने श्रम विभाग को आश्वस्त किया था (जून 2017) कि रांची के इरबा में स्थित झारक्राफ्ट के केन्द्रीय भंडार में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पांच तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके बावजूद, अभिलेखों में बिना कारण बताये[5] धागों को पानीपत से सीधे झारक्राफ्ट के 27 क्लस्टरों में आपूर्ति (जून 2016 से अक्टूबर 2017) किया गया दर्शाया[6] गया था। चूंकि क्लस्टरों में गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए क्लस्टर को सीधे आपूर्ति की गई धागा की गुणवत्ता की जाँच नहीं की जा सकती थी।

इसके अलावा, झारक्राफ्ट मुख्यालय में धागा की प्राप्ति का भंडार लेखा केवल बिक्री चालानों[7] पर आधारित था और यह साबित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि विपत्र में उल्लिखित वस्तुओं और मात्राओं को वास्तव में पहुँचाया गया था।

(कंडिका 2.1.1)

---

[5] तथापि, डीजीएम, हैंडलूम, जो कि कंबल उत्पादन के परिचालन प्रमुख के रूप में उत्तरदायी थे, आपूर्ति आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में या तकनीकी कर्मियों के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी थे।

[6] झारक्राफ्ट मुख्यालय में संधारित भंडार खाते में, आपूर्तिकर्ता तथा परिवाहकों के चालान में

[7] एनएचडीसी या विक्रेता द्वारा जारी (उन मामलों में जहां खरीदारी एनएचडीसी के माध्यम से नहीं की गई थी)

ट्रांसपोर्टरों की अनियमित नियुक्तियां

झारक्राफ्ट ने दो फर्मों[8] को धागे और हैंडलूम उत्पादों के राज्य के अन्दर और बाहर परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टर के रूप में चुना (मार्च 2017)। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, डीजीएम हैंडलूम ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुने गए दो फर्मों के बजाय चार अन्य फर्मों[9] को ऊनी धागे/अर्द्ध-परिष्कृत कम्बल/ परिष्कृत कम्बलों के परिवहन के लिए नियुक्त किया। इन चार फर्मों में से किसी ने भी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था और इन अयोग्य फर्मों का चयन डीजीएम हैंडलूम ने कैसे और क्यों किया इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इसके बाद, प्रबंध निदेशक ने डीजीएम हैंडलूम से स्पष्टीकरण माँगा, जिसने उस वक्त आपातस्थिति और विभिन्न उपायुक्तों द्वारा निर्धारित समय के भीतर कंबल की आपूर्ति करने के दबाव के कारण अनाधिकृत और अनियमित चयन को उचित ठहराया। फलत:, प्रबंध निदेशक ने ₹ 1.10 करोड़ के भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी (अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 के दौरान)। हालांकि, डीजीएम हैंडलूम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण बाद में सोचकर दिया गया था क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं था जो साबित करता हो की आपातस्थिति या उपायुक्तों के अनुचित दबाव के कारण ऐसा किया गया था। इसलिए प्रबंध निदेशक द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिया गया अनुमोदन अनियमित था।

(कंडिका 2.1.2)

परिवहन चालान और रोड परमिट में विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा में परिवहन चालानों[10] के नमूना जाँच में तथा उनकी वाणिज्य कर विभाग (सीटीडी) द्वारा जारी रोड परमिट के साथ मिलान करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं:

✓ 27 जुलाई 2017 से 10 सितंबर 2017 की अवधि के दौरान, 12 वाहनों[11] द्वारा पानीपत से झारखण्ड की प्रथम यात्रा के दौरान महज एक से पांच दिनों के अन्दर 2,366 किमी से 3,134 किमी की दूरी दूसरी यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व दो बार वापसी यात्रा तय किये जाने को अभिलेखित किया गया

[8] सुपर हरियाणा रोड लाइन्स, पानीपत और स्पीड फास्ट कूरियर और कार्गो सर्विसेज, रांची

[9] (1) हरियाणा गुड्स ट्रांसपोर्ट कं., पानीपत; (2) हरियाणा ट्रांसपोर्ट कं., पानीपत; हरियाणा (3) गोल्डेन रोड लाइन्स, करनाल और (4) श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कं., करनाल

[10] सामान क्लस्टर को पहुँचाया गया, लेकिन चालान झारक्राफ्ट मुख्यालय में उपलब्ध

[11] ₹ 1.05 करोड़ मूल्य के 1.46 लाख किलो धागे को ले जाने में

था। इससे वाहनों द्वारा 48 किमी प्रति घंटा से 261 किमी प्रति घंटा[12] की गति से दूरी तय की गई जो कि भारत में ट्रकों की औसत यात्रा गति[13] (20-40 किमी प्रति घंटा) से काफी अधिक था। अतः यह स्पष्ट है कि ये यात्राएँ वास्तव में नहीं हुई थीं।

✓ आठ वाहनों के सन्दर्भ में, जिनके द्वारा 27 जून 2017 से 30 जून 2017 अवधि के दौरान धागों[14] के परिवहन किये जाने का दावा किया गया था, झारक्राफ्ट में उपलब्ध सम्बंधित परिवहन चालानों में उल्लिखित वाहन संख्या वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी रोड परमिट में उल्लिखित वाहन संख्या से मेल नहीं खाता था। इससे यह स्पष्ट है कि रोड परमिट का उपयोग झारक्राफ्ट को आपूर्ति किए जाने वाले धागों के परिवहन के दावों के लिए नहीं किया गया था।

✓ 26 सितम्बर 2017 से 26 अक्टूबर 2017 के बीच तीन वाहनों से 21,071 अर्ध-परिष्कृत कम्बलों को भेजे जाने का दावा किया गया। हालांकि, परिवहन चालानों[15] की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये: (i) अलग-अलग क्लस्टरों तथा अलग-अलग वाहनों के लिए जारी किये गये परिवहन चालानों में हस्तलेखन समान थे, जिसे स्पष्टत: देखा जा सकता था, जो यह संकेत करता है कि परिवहन चालान नकली बनाये गये थे; (ii) एक ही दिन यात्रा करने वाले और एक ही वाहन के चालकों के नाम संबंधित परिवहन चालानों में भिन्न थे; (iii) विभिन्न परिवहन चालानों में दावा किया गया कि तीनों वाहनों में से प्रत्येक ने विभिन्न जिलों में स्थित दो क्लस्टरों (जिनकी दूरी 60 किमी, 227 किमी और 461 किमी) में एक ही दिन में यात्रा किया था जो सम्भव नहीं था। आगे, परिवहन चालान के अनुसार प्रत्येक वाहन द्वारा निर्धारित स्थानों से निर्दिष्ट स्थानों तक (यानि संबंधित क्लस्टर से पानीपत तक) सामग्री ढुलाई का दावा किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वाहन प्रति यात्रा एक से अधिक क्लस्टर नहीं गए थे।

✓ झारखण्ड वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 यह निर्धारित करता है कि सीटीडी चेक पोस्ट रोड परमिट में लिखी घोषणाओं को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और अपनी आधिकारिक मुहर लगाएंगे। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि

---

[12] यह मानते हुए कि प्रतिदिन 12 घंटे की यात्रा की गयी

[13] भारत में वस्तुओं के आवाजाही के लिए भारत के खुदरा विक्रेता एसोसिएशन के 2013 में प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार।

[14] 0.48 लाख किग्रा धागे (मूल्य ₹ 0.35 करोड़)

[15] इस अवधि के लिए रोड परमिट की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि रोड परमिट बनाने की प्रणाली को 1 जुलाई 2017 के बाद ख़त्म कर दिया गया।

जनवरी 2017 से जून 2017 की अवधि के लिए 92 रोड परमिट में से किसी में भी अनिवार्य प्रतिहस्ताक्षर और सीटीडी का आधिकारिक मुहर नहीं लगा था। इसलिए यह स्पष्ट है कि इन रोड परमिट का उपयोग धागों/ अर्ध-परिष्कृत कंबल/ परिष्कृत कंबल के परिवहन के लिए नहीं किया गया था और यह संकेत देता है कि ये दस्तावेज काल्पनिक थे।

(कंडिका 2.1.3)

टोल प्लाजा डेटा के संदर्भ में विसंगतियाँ

पानीपत और झारखण्ड के विभिन्न जिलों के बीच ऊनी धागा/ अर्ध-परिष्कृत/ परिष्कृत कम्बलों के कथित परिवहन की पुष्टि के लिये वाहनों की पंजीकरण संख्या का मिलान एनएच-2 पर स्थित बिहार के सासाराम टोल प्लाजा, एनएच-709 पर स्थित दाहर टोल प्लाजा और एनएच-1 पर स्थित वैकल्पिक भागन टोल प्लाजा[16] (दोनों हरियाणा में) के टोल डाटा[17] से किया गया। पानीपत और झारखण्ड के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए एनएच-2 पर सासाराम होते हुए जो मार्ग है वह सबसे उपयुक्त और सबसे कम दूरी वाला मार्ग[18] था। लेखापरीक्षा ने इसलिए माना है कि, यद्यपि कुछ वाहनों द्वारा अन्य मार्गों का उपयोग किया गया हो, परन्तु यह सम्भव नहीं था कि किसी भी वाहन द्वारा सासाराम होते हुए सबसे कम दूरी और सबसे उपयुक्त मार्ग का उपयोग नहीं किया जाए। लेखापरीक्षा ने यह भी अनुमान लगाया कि पानीपत से झारखण्ड के लिए जाने वाले ट्रक एक दिन[19] में दाहर या भागन टोल प्लाजा पार करेंगे और पानीपत और सासाराम की दूरी कुल तीन दिनों[20] में तय करेंगे।

---

[16] चूंकि भागन टोल प्लाजा 23 अक्टूबर 2017 से परिचालित हुआ था, इसलिए टोल डाटा इस तिथि से दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए एकत्र किया जा सका। हालांकि, झारक्राफ्ट के अभिलेखों के अनुसार इस अवधि के दौरान कोई धागा नहीं आया था।

[17] सासाराम टोल प्लाजा और दाहर टोल प्लाजा के लिये अवधि 01 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 और भागन टोल प्लाजा के लिये 23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि का टोल डाटा भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा उपलब्ध कराया गया।

[18] अन्य मार्गों से यात्रा तय करने पर वाहनों को 26 किमी से 402 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती।

[19] पानीपत से दाहर टोल प्लाजा 10 किमी और भागन टोल प्लाजा 93 किमी की दूरी पर है। दोनों स्थानों की दूरी को एक दिन में तय किया जा सकता था (झारक्राफ्ट के अभिलेख में बताये गए 48 से 261 किमी प्रति घंटे की अनुमानित गति की तुलना में औसतन 30 किमी प्रति घंटे की दर से प्रति दिन 12 घंटे की दूरी तय करने पर - उपरोक्त अनुच्छेद 2.1.3 देखा जा सकता है)।

[20] पानीपत से सासाराम टोल प्लाजा की दूरी 1,000 किमी है, जिसे तीन दिनों में तय किया जा सकता है।

✓ **पानीपत से झारखण्ड तक ऊनी धागे ले जाने का दावा करने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान**

परिवहन चालान के अनुसार, एक वाहन (एचआर 67ए 1061) ने कथित रूप से दिनांक 15 सितंबर 2017 को पानीपत से झारखण्ड के लिए ऊनी धागे की ढुलाई की थी। हालांकि, दाहर टोल डेटा से पता चला कि ट्रक 15 सितंबर को दाहर के मार्ग से गया था और 16 सितंबर को ही लौट आया था। इसके अलावा, वही ट्रक 19 सितंबर को दाहर को पार कर उसी दिन दाहर के मार्ग से लौट आया। पुनः, वही ट्रक 20 सितंबर 2017 को दाहर से निकलकर 21 सितंबर को लौट आया। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान ट्रक झारखण्ड नहीं गया था और परिवहन चालान काल्पनिक था।

(कंडिका 2.1.4.1)

✓ **झारखण्ड से पानीपत तक अर्ध-परिष्कृत कंबल ले जाने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान**

परिवहन चालानों के अनुसार 23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि में 4,10,844 अर्ध-परिष्कृत कंबल झारखण्ड से पानीपत धुलाई और परिष्करण के लिए 83 ट्रकों की 127 यात्राओं के द्वारा भेजे गये। इनमे से किसी भी ट्रक ने सासाराम टोल पार करने के बाद दाहर या भागन टोल प्लाजा पार नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि इनमें से किसी ने भी झारखण्ड से पानीपत तक के लिए यात्रा नहीं की।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि परिवहन चालान के अनुसार एक ट्रक (एचआर 67ए 3918) 16 सितंबर 2017 को डाल्टनगंज, झारखण्ड से निकला था। हालांकि, टोल डाटा दर्शाता था कि इस ट्रक ने उसी दिन दाहर को पार किया था (1,300 किमी की दूरी)। परिवहन चालानों से यह भी पता चला कि यही ट्रक (एचआर 67ए 3918) 26 सितंबर 2017 को एक बार फिर डाल्टनगंज से निकला था; यहाँ भी, टोल डाटा यह दर्शा रहा था कि यह ट्रक उसी दिन दाहर को पार किया था।

पुनः, परिवहन चालान के अनुसार, एक दूसरा ट्रक (एचआर 67बी 6567) 29 सितंबर 2017 को गोड्डा, झारखण्ड से निकला था। हालांकि, टोल आंकड़ा यह दर्शा रहा था कि यह ट्रक उसी दिन उल्टी दिशा से (यानि पानीपत की ओर से) दाहर को पार किया था।

इसलिए यह स्पष्ट है कि इन सभी परिवहन चालानों द्वारा जिसमे झारखण्ड के विभिन्न समूहों से पानीपत तक की 4,10,844 अर्ध-परिष्कृत कंबल की ढुलाई का दावा किया गया था, काल्पनिक था।

(कंडिका 2.1.4.2)

✓ **पानीपत से झारखण्ड तक तैयार कंबल ले जाने वाले वाहनों के परिवहन चालानों का टोल डेटा के साथ मिलान**

परिवहन चालानों के अनुसार 23 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि में 4,49,762 तैयार कंबल पानीपत से झारखण्ड वितरण के लिए 46 ट्रकों की 57 यात्राओं के द्वारा भेजे गये। इनमें से किसी भी ट्रक ने दाहर या भागन और सासाराम टोल प्लाजा पार नहीं किया।

इससे यह स्पष्ट है कि परिवहन चालानों में किया गया दावा कि 18.84 लाख किलोग्राम धागे (₹ 13.56 करोड़ मूल्य के), 8.50 लाख अर्ध-परिष्कृत कंबल (₹ 18.42 करोड़ मूल्य के) और 6.75 लाख पूर्ण-परिष्कृत कंबल (₹ 15.83 करोड़ मूल्य के) की झारखण्ड/पानीपत के बीच ढुलाई की गई थी, काल्पनिक था।

(कंडिका 2.1.4.3)

स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी)/ प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (पीडब्ल्यूसीएस) द्वारा कंबल बुनाई

आपूर्ति किये गये 21.48 लाख कि.ग्रा. धागे में से 62 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस ने केवल 20.16 लाख कि.ग्रा. धागे का उपयोग किया जो कि झारक्राफ्ट के मानक के अनुसार एक कम्बल के लिए 2.12 कि.ग्रा. धागा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 9,50,944 कम्बलों के उत्पादन के लिये पर्याप्त था। यद्यपि, एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस ने 9,83,447 बुने हुए कम्बलों की आपूर्ति की। अत: एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस बिना ऊनी धागे की उपलब्धता के 32,503 कंबलों का उत्पादन नहीं कर सकता था और कंबल के उत्पादन पर झारक्राफ्ट का दावा संदिग्ध है।

(कंडिका 2.1.5)

लेखापरीक्षा ने प्रत्येक एसएचजी/ पीडब्लूसीएस की बुनाई क्षमता का विश्लेषण झारक्राफ्ट द्वारा निर्धारित किये गये मानकों के आधार पर किया और पाया कि 13 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस ने जून 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान 24 अलग-अलग तिथियों पर 44,909 कम्बलों की आपूर्ति की। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इन एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस के पास

प्रासंगिक तिथियों पर कोई धागा उपलब्ध नहीं था और इसलिए, निर्दिष्ट तारीखों पर कंबल उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था। आगे, जून 2016 से दिसंबर 2017 के बीच 51 एसएचजी/ पीडब्लूसीएस ने अपनी उत्पादन क्षमता से 3.72 लाख अधिक कम्बलों की आपूर्ति की थी| अत: झारक्राफ्ट का यह दावा कि एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस द्वारा 9.83 लाख कंबल बुने गए थे, संदिग्ध है।

(कंडिका 2.1.5)

हैंडलूम की खरीद में अनियमितताएँ

अभिलेखों में पाया गया कि मई 2016 और दिसंबर 2017 के बीच झारक्राफ्ट ने चार फर्मों[21] से ₹ 2.02 करोड़ की लागत से 633 हैंडलूम और सहायक उपकरण[22] खरीदे। हालांकि अभिलेखों में यह दर्शाया गया कि इन हैंडलूम को 62 एसएचजी/ पीडब्ल्यूसीएस को वितरित किए गए थे, परन्तु, इन हैंडलूम की पहचान संख्या, स्थान और कार्यदशा की स्थिति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था।

लेखापरीक्षा और झारक्राफ्ट अधिकारियों (प्रबंध निदेशक सहित) द्वारा तीन क्लस्टरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2018) में पाया गया कि इन नमूना परीक्षित तीनों एसएचजी में उनके द्वारा दावा किये गये उत्पादन क्षमता का केवल 18 प्रतिशत ही उपलब्ध था और हैंडलूम की पूरी आपूर्ति को सुनिश्चित किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर दिया गया।

(कंडिका 2.1.6)

उपरोक्त अवलोकनों से लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि झारक्राफ्ट के अधिकारियों ने फर्जी अभिलेखों के सहारे 8.89 लाख कम्बलों के लिये ऊनी धागे (₹ 13.56 करोड़), मजदूरी (₹ 2.39 करोड़), परिष्करण (₹ 1.36 करोड़) और परिवहन (₹ 1.10 करोड़) के लिये ₹ 18.41 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान कर दिया।

[21] ए.के.इंटरप्राइजेज, लातेहार; बुनकर सेवा, रांची; के.जी.एन. ट्रेडर्स, रामगढ; तथा एस. एच. ट्रेडर्स, लातेहार

[22] झारक्राफ्ट में पूर्व से मौजूद 50 हैंडलूम के अलावा

2.2 झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल) का लेखापरीक्षा

जेपीएचसीएल के लेखापरीक्षा में निम्न अनियमितताएँ परिलक्षित हुए:

योग्यता नहीं रखने वाले निविदादाताओं को निर्माण अनुबंध दिया जाना

चार अयोग्य संवेदकों को ₹ 4.87 करोड़ के छः निर्माण कार्य निविदा के अहर्ता शर्तों को दरकिनार करते हुए दिया गया।

(कंडिका 2.2.1)

निमार्ण कार्य में प्रयुक्त सामग्री के गुणवत्ता जाँच में कमी

कंपनी द्वारा स्वीकार किये गए गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट[23] विस्वशनीय नहीं था क्योंकि दो कार्यों से संबंधित 20 गुणवत्ता जाँच नमूना अभिलेखों के सत्यापन से यह प्रकट हुआ कि 18 ढ़लाई नमूने को ढ़लाई के दिन ही गुणवत्ता जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा हुआ दर्शाया गया और दो नमूने को ढ़लाई के चार से 21 दिन पहले भेजा हुआ दर्शाया गया जबकि इन्हें ढलाई के बाद से 24 घंटे क्योरिंग प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही भेजा जाना अपेक्षित था।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा प्रयोगशाला को निर्गत नमूना और जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति से संबंधित कोई अभिलेख (यथा निर्गम पंजी, प्राप्ति पंजी इत्यादि) संधारित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2.2)

आयकर का परिहार्य भुगतान

सामान्य वित्तीय नियम के प्रावधान को उल्लंघन करते हुए भारत सरकार के योजना मद की राशि पर अर्जित ब्याज ₹ 15.33 करोड़ को अपने खाते में गलत ढ़ंग से खुद का आय मान लेने के फलस्वरूप ₹ 5.03 करोड़ का परिहार्य आयकर भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.2.3)

अुनशंसाओं का सार:

- **गृह विभाग को, निविदा मूल्यांकन समिति के सदस्य जिन्होने गलत ढ़ंग से अयोग्य बोली लगाने वालों को योग्य करार दिया, के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।**

[23] एई, जेपीएचसीएल ने गुणवता जाँच नमूनों को बीआईटी सिन्दरी को अपने संदेशवाहक के द्वारा भेजा और जाँच रिपोर्ट बीआईटी सिन्दरी द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, जेपीएचसीएल को भेजा गया हालाँकि जाँच का खर्च संवेदक द्वारा वहन किया गया।

- **कंपनी को गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट में संभावित फेर-बदल की छानबीन करनी चाहिए और जिम्मेदार पाये गये अधिकारी एवं संवेदक के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए।**
- **कंपनी को सामग्रियों की जाँच के प्रत्येक चरण यथा कार्यस्थल पर जाँच नमूनों का संधारण, उनका प्रयोगशाला भेजना, जाँच रिपोर्ट प्राप्ति और इसके प्रलेखन का मानक निर्धारण करना चाहिए।**
- **कंपनी को परियोजना निधि पर अर्जित ब्याज को परियोजना खाते मे जमा कर देना चाहिए या इसे सरकार को दे देना चाहिए ताकि उस आय पर आयकर भुगतान से बचा जा सके जो खुद का नहीं है।**

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका का सार नीचे दिया गया है:

✓ **झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड** ने बुशिंग के सावधिक जाँच परीक्षण में विफलता तथा इसके क्रय एवं प्रतिस्थापना में 16 माह का अनावश्यक विलम्ब के कारण ₹ 22.79 करोड़ मूल्य के 75.73 एमयू उर्जा उत्पादन का परिहार्य हानि उठाया।

(कंडिका 3.1)